फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भुसावर

रमन वगै. बनाम हप्पो वगै.

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र धारा 212 RTA नं. 09 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 36

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.25	वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA के तहत पेश किया गया। हमने वकील प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अम्र से जारी की जाती है कि विवादित आ.ख.नं. 846 रकबा 0.62 हैक्टे. वाके ग्राम भुसावर प्रथम तह. भुसावर जिला भरतपुर में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3, आगामी तारीख पेशी 11.03.2025 तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि इस आज्ञा बाबत् कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में नियत दिनांक को उपस्थित होकर पेश करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. होवें। अप्रार्थीगण की तलबी प्रार्थी द्वारा तलवाना पेश करने पर जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होवें। नियत दिनांक से पूर्व आदेशानुसार तलवी हेतु तलवाना पेश नही पेश करने पर जारी शुदा स्थगन स्वतः ही खारिज समझा जावेगा। कैफियत पालनार्थ तहसीलदार, भुसावर व उपंजीयक भुसावर को भेजी जावें। पत्रावली दिनांक 11.03.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (राधेश्याम मीणा) उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)	
05.03.25	आज यह पत्रावली पेश हुई पत्रावली प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली तलब बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेश हुई उक्त उनवानी प्रकरण का मूल दावा खारिज करवाया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA का चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रा.पत्र 212	[illegible]

RTA इसी stage पर खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन दिनांक 11.02.25 निरस्त किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील हो तथा संलग्न मूल वाद हो।

(हस्ताक्षर)
(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

127

—————— तरतीवी प्रतिवादीगण गैरसायलान

रमनलाल (हस्ताक्षर) कमल (हस्ताक्षर) किशोर (हस्ताक्षर) — 2 प्रेषण